The Uttar Pradesh land Development Tax Adhiniyam, 1972

Act 35 of 1972

Keyword(s):
Mediate (Madhyavarti), Annual Value, Khaykar, Land, Tax or Land Development Tax, Adna Malik, Land, Khaykar, Land, Tax or Land Development Tax, Adna Malik, Krishi Bhumighar, Hissedari

Amendment appended: 35 (B) of 1972

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1972)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ]

ग्रामीण विकास की कतिपय योजनाओं के लिये रक्षित संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से कृषि भूमि पर कर आरोपित करने तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—संक्षिप्त नाम प्रसार तथा प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 जुलाई, 1971 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2—परिभाषाएं—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

*(क) "मध्यवर्ती" का तात्पर्य स्वामी, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, अवध में पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी, दवामी काश्तकार, हिस्सेदार (परगना असकोट के हिस्सेदार से भिन्न) अथवा ऐसी भूमि के

---

*नीचे उद्धृत धारा 2 का खंड (कक), जो 1976 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 की धारा 39 के द्वारा निकाला जा चुका है, पूर्व में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8,1975 की धारा 30 द्वारा जोड़ा गया था:—

"(कक) 'वार्षिक मूल्य' का तात्पर्य—

(1) किसी भूमिधर की दशा में, ऐसे भूमिधर द्वारा देय अथवा देय समझे गये भू-राजस्व के दुगुने के बराबर धनराशि,

(2) किसी सीरदार अथवा मध्यवर्ती की दशा में, ऐसे सीरदार अथवा मध्यवर्ती द्वारा देय अथवा देय समझे जाने वाले भू-राजस्व के बराबर धनराशि, तथा

(3) किसी सरकारी पट्टेदार की दशा में, ऐसे पट्टेदार द्वारा देय लगान के बराबर धनराशि,

से है,"

द्वारा धृत न हो अथवा परगना असकोट के गुंजारेदार से है;

(ख) 'खायकर' का वही तात्पर्य है जो कुमायूं तथा गढ़वाल डिवीजनों में प्रयोज्य भौमिक अधिकार से संबंधित वर्तमान विध में उक्त पद के लिये दिया गया है, किन्तु इसके अन्तर्गत मौरूसीदार या हलबन्दी माफीदार नहीं है;

[1]["(ग) 'भूमि' का तात्पर्य ऐसी कृष्ट अथवा अकृष्ट भूमि से है, जिसके संबंध में, यथास्थिति, भू-राजस्व अथवा लगान निर्धारित हो, अथवा निर्धारित किया जाना हो या उसका भुगतान किया जाना हो, और जो

(1) किसी भूमिधर, सीरदार अथवा सरकारी पट्टेदार द्वारा, या

(2) किसी मध्यवर्ती द्वारा यदि भूमि उसकी निजी जोत में हो, या उसकी सीर या खुदकाश्त अथवा बाग के रूप में हो,

कृषि, औद्यानिकी या पशुपालन (जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी है) से संबंधित प्रयोजनों के निमित्त धृत अथवा अध्यासित हो," ;]

(घ) 'कर' या 'भूमि विकास कर' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन देय कर से है;

(ङ) पद 'अदना मालिक' और 'मातहतदार' का वही अर्थ है जो उनके लिये यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यू० पी० ऐक्ट संख्या 3, 1901), में दिये गये हैं;

1—निम्नांकित के स्थान पर 1975 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 की धारा 30 के द्वारा रक्खा गया:—

"(ग) 'भूमि' का तात्पर्य ऐसी कृष्ट अथवा अकृष्ट भूमि से है जिसके संबंध में राजस्व का निर्धारण या भुगतान किया जाय या किये जाने के लिये दामी हो, तथा जो—

(1) किसी भूमिधर या सीरदार द्वारा; या

(2) किसी मध्यवर्ती द्वारा, यदि भूमि उसकी निजी जोत में हो, या उसकी सीर या खुदकाश्त या बाग के रूप में हो—

कृषि, औद्यानिकी या पशुपालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से संबंधित प्रयोजनों के निमित्त धृत या अध्यासित हो,"

(च) पद 'कृषि वर्ष', 'बाग', 'खुदकाश्त', 'अवध में पट्टेदार स्वामी' या इस्तमरारी', 'दवामी काश्तकार', 'सीर' और 'ठेकेदार' के वही अर्थ हैं जो उनके लिये यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 (यू० पी० ऐक्ट संख्या 17, 1939), में दिये गये हैं;

(छ) पद [1][भूमिधर, सीरदार, सरकारी पट्टेदार और स्वामी] के वही अर्थ हैं जो उनके लिये 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1950) का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में दिये गये हैं; और

(ज) पद "हिस्सेदार" का वही अर्थ है जो कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1960) में उसके लिये दिया गया है।

3—**करारोपण**—प्रत्येक कृषि वर्ष के लिये सभी भूमि पर अनुसूची में निर्दिष्ट दर से एक कर जो भूमि विकास कर कहलायेगा भारित तथा आरोपित किया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा;

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम जुलाई, 1971 को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के संबंध में, उक्त कर केवल आधा भारित तथा आरोपित किया जायगा तथा उसका भुगतान किया जायगा।

4—**वसूली की रीति**—किसी भूमि पर आरोपण, और भुगतान के प्रयोजनार्थ, भूमि विकास कर ऐसी भूमि के संबंध में देय भू-राजस्व का भाग समझा जायगा और उसमें सम्मिलित किया जायगा, और तदनुसार, कर के संबंध में, यथास्थिति 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम का अध्याय 10 0_2 2 [ ] (बन्दोबस्त से संबंधित उपबन्धों को छोड़कर) या यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के अध्याय 8 के उपबन्ध और उक्त उपबन्धों के संबंध में उक्त अधिनियमों के अधीन बनाये गये कोई नियम आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे राजस्व के संबंध में लागू होते हों;

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम जुलाई, 1971 को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के संबंध में कर भू-राजस्व की रबी किस्त का भाग समझा जायेगा तथा उसमें सम्मिलित किया जायगा।

5—**उपयोग**—(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा यथोचित विनियोजन किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार राज्य की संहत निधि से भूमि-विकास कर के मद्दे पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि

1—शब्द "भूमिधर, सीरदार और स्वामी" के स्थान पर उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1975 की धारा 30 द्वारा रक्खा गया।

2—1975 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 की धारा 31 द्वारा शब्द व अंक "धारा 247—ख और" निकाल दिये गये।

में से [1][चालीस प्रतिशत] के बराबर धनराशि निकालेगी और उसे एक पृथक निधि में जमा करेगी जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास निधि कहलायेगी, और उक्त निधि में इस प्रकार की धनराशि का जमा किया जाना राज्य की संहत-निधि पर भारित व्यय होगा ।

(2) उत्तर प्रदेश ग्रामीण-विकास निधि से किसी भी धनराशि का, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रयोजनों के सिवाय, न तो भुगतान किया जायगा और न ही उसका प्रयोग किया जायगा:—

(क) सिंचाई;

(ख) चिकित्सा संबंधी सुविधायें, और सार्वजनिक स्वास्थ्य;

(ग) सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण;

(घ) विद्युतीकरण ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पेयजल सम्भरण ।

(3) उक्त निधि जिसके अन्तर्गत उसके जमा खाते की धनराशि का निवेश या पुनर्निवेश भी है, का अनुरक्षण और संचालन इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

(4) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में विधि द्वारा यथोचित विनियोजन किये जाने के पश्चात् राज्य सरकार संहत निधि में से भूमि विकास कर के मद में पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि में से [2][पचीस प्रतिशत] के बराबर धनराशि निकालेगी, और—

[3]["(क) इस प्रकार प्राप्त धनराशि के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि में से अस्सी लाख रुपयों की धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम को गावों में पेय जल की योजनाओं को तयार,निष्पादित, प्राप्त, प्रयोजित और अनुरक्षित करने के लिये देगी और शेष धनराशि उत्तर प्रदेश क्षेत्रसमिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 99 के अधीन स्थापित जिलानिधियों में उस अनुपात में जमा करेगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करें";]

(ख) इस प्रकार प्राप्त धनराशि के [1][पन्द्रह प्रतिशत] के बराबर धनराशि में से पचास लाख रुपयों की धनराशि, राज्य विद्युत् परिषद् को ऐसे ग्रामों में जहाँ विद्युतीकरण हो चुका हो, सड़कों पर रोशनी के लिये प्रयुक्त बिजली के लैम्पों को ऊर्जा के यथोचित सम्भरण हेतु देगी । और शेष को उक्त धारा 99 के अधीन स्थापित क्षेत्र निधियों तथा यू० पी० पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1947) की धारा 32 के अधीन स्थापित गाँव निधियों में उस अनुपात में जमा करेगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे ।

(5) उपधारा (4) में उल्लिखित धनराशियों का उस धारा के उपबन्धों के अनुसार व्यय राज्य की संहत निधि पर भारित होगा ।

(6) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1961) या यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1947) जैसी भी दशा हो, में किसी बात के होते हुए भी—

(क) कोई जिला परिषद् जिला निधि में इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का, सिवाय प्राइमरी स्कूलों और जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण अथवा सड़कों के निर्माण या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना, कार्यों के प्रयोजनार्थ, न तो भुगतान करेगी और न उसका प्रयोग करेगी;

1—शब्द "साठ प्रतिशत" के स्थानपर 1975 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 की धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा रक्खा गया।

2—1975 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 की धारा 32 की उपधारा (1) के द्वारा शब्द "चालीस प्रतिशत" के स्थान पर रख दिये गये ।

3—नीचे उद्धृत धारा 5 की उपधारा (4) के खंड (क) में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1975 की धारा 32 की उपधारा (2) द्वारा शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "दश प्रतिशत" रक्खे गये थे और तदोपरान्त 1976 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 की धारा 40 (1) के द्वारा सम्पूर्ण खंड प्रतिस्थापित किया गया:—

"(क) इस प्रकार प्राप्त धनराशि के पंद्रह प्रतिशत के बराबर धनराशि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 99 के अधीन स्थापित जिला निधियों में उस अनुपात में जमा करेगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे;"

1—1975 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 की धारा 32 की उपधारा (2) के द्वारा शब्द "पचीस प्रतिशत" के स्थान पर रख दिये गये ।

(ख) कोई क्षेत्र समिति या गाँव सभा, क्षेत्र निधि या, यथास्थिति, गाँव निधि में इस प्रकार जमा की गई धनराशियों को[1] [ ] सिवाय सड़कों व पुलियों व नालियों के निर्माण और अनुरक्षण, और विद्युतीकरण के प्रयोजनार्थ, न तो भुगतान करेगी और न उसका प्रयोग करेगी।"

6—नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य-शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनाँक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

7—निरसन तथा अपवाद—(1) उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायेगी मानों यह अधिनियम 16 जून, 1972 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11, 1972) को प्रवृत्त हो गया था।

1—1976 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 की धारा 40 की उपधारा (2) के द्वारा शब्द "ऐसी पेयजल योजनाओं जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों" निकाल दिये गये।

(धारा 5 देखिए)

*भूमि विकास कर नीचे विनिर्दिष्ट दर से देय होगा:—

क—किसी भूमिधर, सीरदार या सरकारी पट्टेदार की स्थिति में—

(i) जिसके द्वारा और जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक न हो	.. कुछ नहीं।
(ii) जिसके द्वारा और जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक किन्तु 2.5293 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक न हो	.. उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व या लगान के एक-तिहाई के बराबर धनराशि।
(iii) जिसके द्वारा और जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 2.5293 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक किन्तु 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक न हो।	.. उसके द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व या लगान के आधे के बराबर धनराशि।
(iv) जिसके द्वारा और जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक हो	.. उसके द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व या लगान के बराबर धनराशि।
ख—किसी मध्यवर्ती की स्थिति में	.. उसके द्वारा देय भू-राजस्व या लगान के बराबर धनराशि।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिये 'परिवार' के अन्तर्गत व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी और अवयस्क बच्चे हैं, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त हों या नहीं।

---

*मूल अधिनियम की धारा 3 में वर्णित निम्नांकित अनुसूची।

(धारा 3 देखिए)

"भूमि विकास कर निम्नलिखित दर से देय होगा:—

(क) किसी भूमिधर या सीरदार की दशा में—

(1) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टेयर (3.125 एकड़) से अधिक न हो	..कुछ नहीं
(2) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टेयर (3.125 एकड़) से अधिक किन्तु 2.5293 हेक्टेयर (6.25 एकड़) से अधिक न हो	..उसके अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय अथवा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 247—ख की उपधारा (5) के अधीन देय समझे जाने वाले भू-राजस्व का 50 प्रतिशत।
(3) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 2.5293 हेक्टेयर (6.25 एकड़) से अधिक हो किन्तु 5.0586 हेक्टेयर (12.50 एकड़) से अधिक न हो	..उसके द्वारा अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व का 100 प्रतिशत।
(4) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यो द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमिका क्षेत्रफल 5.0586 हेक्टेयर (12.50 एकड़) से अधिक हो	..उसके द्वारा अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व का 150 प्रतिशत।
(ख) किसी मध्यवर्ती की दशा में	..उसके द्वारा देय भू-राजस्व का 150 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए:—

(क) परिवार के अन्तर्गत कोई व्यक्ति उसका पति या उसकी पत्नी तथा अवयस्क बच्चे, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त हों या नहीं हैं।

(ख) 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 247—ख की उपधारा (2) के अन्तर्गत अंशों का अवधारण अन्तिम और बन्धनकारी होगा।"

के स्थानपर 1975 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 8 की धारा 33 द्वारा निम्नांकित अनुसूची प्रतिस्थापित की गई थी जिसे 1976 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 की धारा 41 द्वारा निकाल दिया गया:—

अनुसूची।

(धारा 3 देखिए)

"भूमि विकास कर निम्नलिखित दर से देय होगा—

क—किसी भूमिधर, सीरदार अथवा सरकारी पट्टेदार की दशामें—	
(1) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक नहीं।	..कुछ नहीं।
(2) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक किन्तु 2.5293 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक नहीं	उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत भूमि के वार्षिक मूल्य की आधी धनराशि।
(3) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 2.5293 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक किन्तु 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक न हो	उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत भूमि के वार्षिक मूल्य की डेढ़ गुनी धनराशि।
(4) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक हो	उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत भूमि के वार्षिक मूल्य की ढ़ाई गुनी धनराशि।
ख—किसी मध्यवर्ती की दशा में	उसके द्वारा धृत भूमि के वार्षिक मूल्य की ढ़ाई गुनी धनराशि।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए 'परिवार' के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी तथा आवश्यक बच्चे, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त हों या नहीं हैं।"

पी० एस० यू० पी०—39 सा० (राजस्व)—9-3-77—1,600 (हिन्दी)

L.A. 15/72.35
cop. 4

135396

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1972)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 4-8-1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 8-8-1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 19-8-1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22-8-1972 ई० को प्रकाशित हुआ)

ग्रामीण विकास की कतिपय योजनाओं के लिए रक्षित संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से कृषि भूमि पर कर आरोपित करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 जुलाई, 1971 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएं

2—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) 'मध्यवर्ती' का तात्पर्य स्वामी, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, अवध में पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी, दवामी काश्तकार, हिस्सेदार (परगना असकोट के हिस्सेदार से भिन्न) अपनी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो किसी खायकर द्वारा धृत न हो, परगना असकोट के हिस्सेदार अपनी ऐसी भूमि के संबंध में जो किसी गुजारेदार अथवा खायकर द्वारा धृत न हो अथवा परगना असकोट के गुजारेदार से है;

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 4-8-1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

Price 10 Paise.

(ख) 'खायकर' का वही तात्पर्य है जो कुमायूं तथा गढ़वाल डिवीजनों में प्रयोज्य भौमिक अधिकार से संबंधित वर्तमान विधि में उक्त पद के लिए दिया गया है, किन्तु इसके अन्तर्गत मौरूसीदार या हलबन्दी माफीदार नहीं है;

(ग) 'भूमि' का तात्पर्य ऐसी कृष्ट अथवा अकृष्ट भूमि से है जिसके सम्बन्ध में राजस्व का निर्धारण या भुगतान किया जाय या किये जाने के लिए दायी हो, तथा जो—

(1) किसी भूमिधर या सीरदार द्वारा; या

(2) किसी मध्यवर्ती द्वारा, यदि भूमि उसकी निजी जोत में हो, या उसकी सीर या खुदकाश्त या बाग के रूप में हो—

कृषि, औद्यानिकी या पशुपालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुटपालन भी है, से सम्बन्धित प्रयोजनों के निमित्त, धृत या अध्यासित हो;

(घ) 'कर' या 'भूमि विकास कर' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन देय कर से है;

(ङ) पद 'अदना मालिक' और 'मातहतदार' के वही अर्थ हैं जो उनके लिये यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 में दिये गये हैं;

(च) पद 'कृषि वर्ष', 'बाग', 'खुदकाश्त', 'अवध में पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी', 'दवामी काश्तकार', 'सीर' और 'ठेकेदार' के वही अर्थ हैं जो उनके लिये यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 में दिये गये हैं;

(छ) पद 'भूमिधर', 'सीरदार' और 'स्वामी' के वही अर्थ हैं जो उनके लिये 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में दिये गये हैं; और

(ज) पद 'हिस्सेदार' का वही अर्थ है जो कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 में उसके लिये दिया गया है।

करारोपण

3—प्रत्येक कृषि वर्ष के लिये सभी भूमि पर अनुसूची में निर्दिष्ट दर से एक कर जो भूमि विकास कर कहलायेगा भारित तथा आरोपित किया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम जुलाई, 1971 को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के संबंध में, उक्त कर केवल आधा भारित तथा आरोपित किया जायगा तथा उसका भुगतान किया जायगा।

वसूली की रीति

4—किसी भूमि पर आरोपण, और भुगतान के प्रयोजनार्थ, भूमि विकास कर ऐसी भूमि के संबंध में देय भू-राजस्व का भाग समझा जायगा और उसमें सम्मिलित किया जायगा, और तद्नुसार, कर के सम्बन्ध में, यथास्थिति 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम का अध्याय 10 (धारा 247—ख और बन्दोबस्त से संबंधित उपबन्धों को छोड़कर) या यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के अध्याय 8 के उपबन्ध और उक्त उपबन्धों के संबंध उक्त अधिनियमों के अधीन बनाये गये कोई नियम आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे राजस्व के संबंध में लागू होते हों :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम जुलाई, 1971 को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के संबंध में कर भू-राजस्व की रबी किस्त का भाग समझा जायगा तथा उसमें सम्मिलित किया जायगा।

उपयोग

5—(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा यथोचित विनियोजन किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार राज्य की संहत निधि से भूमि-विकास कर के मद्दे पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि में से साठ प्रतिशत के बराबर धनराशि निकालेगी और उसे एक पृथक् निधि में जमा करेगी जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास निधि कहलायेगी, और उक्त निधि में इस प्रकार की धनराशि का जमा किया जाना राज्य की संहत-निधि पर भारित व्यय होगा।

(2) उत्तर प्रदेश ग्रामीण-विकास निधि से किसी भी धनराशि का, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रयोजनों के सिवाय, न तो भुगतान किया जायगा और न ही उसका प्रयोग किया जायगा:—

(क) सिंचाई;

(ख) चिकित्सा संबंधी सुविधायें, और सार्वजनिक स्वास्थ्य;

(ग) सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण ;

(घ) विद्युतीकरण;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पेयजल सम्भरण।

(3) उक्त निधि, जिसके अन्तर्गत उसके जमा खाते की धनराशि का निवेश या पुनर्निवेश भी है, का अनुरक्षण और संचालन इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(4) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा यथोचित विनियोजन किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार, संहृत निधि में से भूमि विकास कर के मद्दे पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि में से चालीस प्रतिशत के बराबर धनराशि निकालेगी, और—

प्रदेश नियम 33, 61

(क) इस प्रकार प्राप्त धनराशि के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर धनराशि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 99 के अधीन स्थापित जिला निधियों में उस अनुपात में जमा करेगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे;

प्रदेश नियम 26, 47

(ख) इस प्रकार प्राप्त धनराशि के पचीस प्रतिशत के बराबर धनराशि में से पचास लाख रुपयों की धनराशि, राज्य विद्युत् परिषद् को, ऐसे ग्रामों में जहां विद्युतीकरण हो चुका हो, सड़कों पर रोशनी के लिये प्रयुक्त बिजली के लैम्पों को ऊर्जा के यथोचित सम्भरण हेतु देगी और शेष को उक्त धारा 99 के अधीन स्थापित क्षेत्र निधियों तथा यू० पी० पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 32 के अधीन स्थापित गांव-निधियों में उस अनुपात में जमा करेगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे।

(5) उपधारा (4) में उल्लिखित धनराशियों का उस धारा के उपबन्धों के अनुसार व्यय राज्य की संहृत निधि पर भारित होगा।

र प्रदेश नियम 33, 61

(6) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 या यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, 1947, जैसी भी दशा हो, में किसी बात के होते हुये भी,—

र प्रदेश नियम 26, 47

(क) कोई जिला परिषद् जिला निधि में इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का, सिवाय प्राइमरी स्कूलों और जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण अथवा सड़कों के निर्माण या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना, कार्यों के प्रयोजनार्थ, न तो भुगतान करेगी और न उसका प्रयोग करेगी;

(ख) कोई क्षेत्र समिति या गांव सभा, क्षेत्र निधि या, यथास्थिति, गांव निधि में इस प्रकार जमा की गई धनराशियों को सिवाय ऐसी पेयजल योजनाओं, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों, सड़कों व पुलियों व नालियों के निर्माण और अनुरक्षण, और विद्युतीकरण के प्रयोजनार्थ, न तो भुगतान करेगी और न उसका प्रयोग करेगी।

नियम बनाने की शक्ति

6—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य-शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

निरसन तथा अपवाद

र प्रदेश ादेश या 11, 72

7—(1) उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायेगी मानों यह अधिनियम 16 जून, 1972 को प्रवृत्त हो गया था।

अनुसूची
(धारा 3 देखिये)

भूमि विकास कर निम्नलिखित दर से देय होगा :—

(क) किसी भूमिधर या सीरदार की दशा में—

(1) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक न हो।	कुछ नहीं।

(2) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1·2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक किन्तु 2·5293 हेक्टर (6·25 एकड़) से अधिक न हो।	उसके अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय अथवा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 247-ख की उपधारा (5) के अधीन देय समझे जाने वाले भू-राजस्व का 50 प्रतिशत।
(3) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 2·5293 हेक्टर (6·25 एकड़) से अधिक किन्तु 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक न हो।	उसके द्वारा अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व का 100 प्रतिशत।
(4) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक हो।	उसके द्वारा अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व का 150 प्रतिशत।
(ख) किसी मध्यवर्ती की दशा में।	उसके द्वारा देय भू-राजस्व का 150 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए :—

(क) 'परिवार' के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी तथा अवयस्क बच्चे, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त हों या नहीं, हैं ;

(ख) 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 247-ख की उपधारा (2) के अन्तर्गत अंशों का अवधारण अन्तिम और बन्धनकारी होगा।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—189 जनरल (लेग०)—1972—1,805 (मे0)।